



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी-श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.



राजस्व वाद संख्या- 41/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या- 2022/64
दायर दिनांक- 08.06.2022
निर्णय दिनांक- 08.11.2023

1. सोहनी पत्नि मदन
2. बाबूलाल पुत्र मदन
3. धारू पुत्र मदन
4. हरदयाल पुत्र मदन
5. प्रहलाद पुत्र मदन
6. गीता पुत्री मदन

सर्वजाति भांभी, सर्वनिवासी ग्राम पालड़ीपठानान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

—वादीगण

बनाम

1. नाथी पत्नि पोखर
2. सीता पत्नि गोपी
3. दीपक पुत्र गोपी
4. धमीचन्द पुत्र पोखर
5. नेमीचन्द पुत्र गोपी
6. पुजा पुत्री गोपी
7. जोदाराम पुत्र शोराम
8. किशना पुत्र शोराम
9. अर्जुन पुत्र शोराम
10. नोरत पुत्र शोराम
11. घीसी पुत्री शोराम

सर्वजाति भांभी, सर्वनिवासी ग्राम पालड़ीपठानान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील जरिये शाखा प्रबंधक

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 वादीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

—:निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी की राजस्व ग्राम पालड़ीपठानान, पटवार हल्का पींगलोद में कृषि भूमि खाता संख्या 79 के ख0न0 358/22 रकबा 3.4625 है0 भूमि किस्म बारानी द्वितीय अवस्थित है।

08.11.22
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)



वाद वर्णित कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 55/856, वादी संख्या 2 का हिस्सा 55/856, वादी संख्या 3 का हिस्सा 55/856, वादी संख्या 4 का हिस्सा 55/856, वादी संख्या 5 का हिस्सा 55/856, वादी संख्या 6 का हिस्सा 55/856 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 का राजस्व रिकार्ड अनुसार हिस्सा दर्ज एवं निहित है एवं उक्त हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। एवं वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 संयुक्त खातेदार है एवं वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 संयुक्त लगान जमा करवाते हैं। वाद अधीन भूमि का मौके पर मय नींव, सींव, अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी कृषि भूमि का हिस्से अनुसार नाप-चौक बंटवारा नहीं हो रखा है। वाद वर्णित आराजी का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के मध्य बंटवारा नहीं होने से आये दिन इनके मध्य विवाद लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। दिनांक 30.05.2022 को वादीगण से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा उक्त कृषि भूमि की कांटे, पत्थर की साफ-सफाई, सार-संभाल करते समय विवाद किया इस पर वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को आपस में सहमति बंटवारे की बात कही जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने कहा कि तुम बंटवारा करवा लो हम तो बंटवारा नहीं करवायेंगे। इस कारण न्यायालय वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 12 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 13 को भूमि रहन होने के कारण पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पालडीपठानान पटवार हल्का पींगलोद की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2071-74 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 79 में ख0न0 358/22 रकबा 3.4625 है0 गीता पुत्री मदन (वादी संख्या 6) हि0 55/856 जाति भांभी सा0 देह खातेदार दीपक पुत्र गोपी (प्रतिवादी संख्या 03) हि0 55/1712 जाति भांभी सा0 देह खातेदार धर्मीचन्द पुत्र पोखर (प्रतिवादी संख्या 04) हि0 55/428 जाति भांभी सा0 देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, धारु पुत्र मदन (वादी संख्या 03) हि0 55/856 जाति भांभी सा0 देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, नेमीचन्द पुत्र गोपी (प्रतिवादी संख्या 05) हि0 55/1712 जाति भांभी सा0 देह खातेदार, नाथी पत्नि पोखर (प्रतिवादी संख्या 01) हि0 55/428 जाति भांभी सा0 देह खातेदार, पूजा पुत्री गोपी (प्रतिवादी संख्या 06) हि0 55/1712 जाति भांभी सा0 देह खातेदार, प्रहलाद पुत्र मदन (वादी संख्या 05) हि0 55/856 जाति भांभी सा0 देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, बाबूलाल पुत्र मदन (वादी संख्या 02) हि0 55/856 जाति भांभी सा0 देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, शोराम पुत्र बीजा(इसकी वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 से 11) हि0 49/214 जाति भांभी सा0 देह खातेदार, सीता पत्नि गोपी (प्रतिवादी संख्या 02) हि0 55/1712 जाति भांभी सा0 देह खातेदार, सोहनी पत्नि मदन (वादी संख्या 01) हि0 55/856 जाति भांभी सा0 देह खातेदार, हरदयाल पुत्र मदन (वादी संख्या 04) हि0 55/856 जाति भांभी सा0 देह खातेदार राहिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। तदनुसार प्रकरण में तहसीलदार रूपनगढ़ (प्रतिवादी संख्या 12) को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार रूपनगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील वादी की ओर से प्रकरण में कमिश्नरी रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी। हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन, किया एवं बहस पर मनन किया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी :-

08.11.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

क्र० सं०	नाम खातेदार	ख० न०	रकबा (हे०)	किस्म	विभाजन प्रस्ताव में दर्शित रंग
1	अर्जुन लाल बुनकर पुत्र शोराम हि० 1/5, घिसी देवी पुत्री शोराम हि० 1/5, शोराम 1/5, किशना पुत्र शोराम हि० 1/5, नोरतमल बुनकर पुत्र शोराम हि० 1/5, सर्वजाति भांभी सा० देह खातेदार	358/22/1	0.7780	बा. 2	नीला
2	नाथी पत्नि पोखर हि० 1/3, धर्मीचन्द पुत्र पोखर हि० 1/3 राहिन हि० (पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, सीता पत्नि गोपी हि० 1/12, दीपक पुत्र गोपी हि० 1/12, नेमीचन्द पुत्र गोपी हि० 1/12, पूजा पुत्री गोपी हि० 1/12 सर्व जाति भांभी सा० देह खातेदार	358/22/2	1.3099	बा. 2	भूरा
3	सोहनी पत्नि मदन हि० 1/6, गीता पुत्री मदन हि० 1/6, धारु पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हिस्सा (पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, प्रहलाद पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हि० (पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, बाबूलाल पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हि० (पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, हरदयाल पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हि० (पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, सर्वजाति भांभी सा० देह खातेदार	358/22/3	1.3099	बा. 2	हरा
4	अर्जुन लाल बुनकर पुत्र शोराम हि० 49/1070 जाति भांभी सा० देह खातेदार, किशना पुत्र शोराम हि० 49/1070, गीता पुत्री मदन हि० 55/856, घीषी देवी पुत्री शोराम हि० 49/1070, जोधा पुत्र शोराम हि० 49/1070, दीपक पुत्र गोपी हि० 55/1722, धर्मीचन्द पुत्र पोखर हि० 55/428 राहिन हि० (पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, धारु पुत्र मदन हि० 55/856 राहिन हि० पूर्ण बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, नेमीचन्द पुत्र गोपी हि० 55/1712, नाथी पत्नि पोखर हि० 55/428, नोरतमल बुनकर पुत्र शोराम हि० 49/1070, पूजा पुत्री गोपी हि० 55/1712, प्रहलाद पुत्र मदन हि० 55/856 राहिन हि० पूर्ण हि० पूर्ण बडौदा	358/22/4	0.0647	बा. 2 (रास्ता)	लाल




08.11.23
 उपखण्ड अधिकारी
 जयप्रकाश अखण्ड (अजमेर)

राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, वावुलाल पुत्र मदन हि0 55/856 राहिन हि0 (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील, सीता पत्नि गोपी हि0 55/1712, सोहनी पत्नि मदन हि0 55/856, हरदयाल पुत्र मदन हि0 55/856 राहिन हि0 (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील सर्वजाति भांभी सा0 देह खातेदार				
---	--	--	--	--

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग-अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।




 सुखाराम पिण्डेल 08-11-23
 (आर.ए.एस.)
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
 रूपनगढ़ (अजमेर)



अंतिम डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी
अज अदालत व इजलास उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी-श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 41/2022

उनवानी

1. सोहनी पत्नि मदन
2. बाबूलाल पुत्र मदन
3. धारू पुत्र मदन
4. हरदयाल पुत्र मदन
5. प्रहलाद पुत्र मदन
6. गीता पुत्री मदन

सर्वजाति भांभी, सर्वनिवासी ग्राम पालड़ीपठानान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

—वादीगण

बनाम

1. नाथी पत्नि पोखर
2. सीता पत्नि गोपी
3. दीपक पुत्र गोपी
4. धमीचन्द पुत्र पोखर
5. नेमीचन्द पुत्र गोपी
6. पुजा पुत्री गोपी
7. जोदाराम पुत्र शोराम
8. किशना पुत्र शोराम
9. अर्जुन पुत्र शोराम
10. नोरत पुत्र शोराम
11. घीसी पुत्री शोराम

सर्वजाति भांभी, सर्वनिवासी ग्राम पालड़ीपठानान तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर

12. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
13. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील जरिये शाखा प्रबंधक

—प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू-ब-रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी पठानान के खाता संख्या 79 के ख0न0 358/22 रकबा 3.4625 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के नाम निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश किये जाते हैं-

08.11.22

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

क्र० सं०	नाम खातेदार	ख० न०	एकडा (हे०)	कि० म	विभाजन प्रस्ताव नं दर्शित रंग
1	अर्जुन लाल वुनकर पुत्र शोराम हि० 1/5, घिरी देवी पुत्री शोराम हि० 1/5, जोधा पुत्र शोराम 1/5, किशना पुत्र शोराम हि० 1/5, नोरतमल वुनकर पुत्र शोराम हि० 1/5 सर्वजाति भांभी सा० देह खातेदार	358/22/1	0.7780	वा. 2	नीला
2	नाथी पत्नि पोखर हि० 1/3, धर्मीचन्द पुत्र पोखर हि० 1/3 राहिन हि० (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैक शाखा कुचील, सीता पत्नि गोपी हि० 1/12, दीपक पुत्र गोपी हि० 1/12, नेमीचन्द पुत्र गोपी हि० 1/12, पूजा पुत्री गोपी हि० 1/12 सर्व जाति भांभी सा० देह खातेदार	358/22/2	1.3099	वा. 2	शुभ्रा
3	सोहनी पत्नि मदन हि० 1/6, गीता पुत्री मदन हि० 1/6, धारू पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हि० (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैक शाखा कुचील, प्रहलाद पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हि० (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैक शाखा कुचील, वायूलाल पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हि० (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैक शाखा कुचील,, हरदयाल पुत्र मदन हि० 1/6 राहिन हि० (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैक शाखा कुचील, सर्वजाति भांभी सा० देह खातेदार	358/22/3	1.3099	वा. 2	हरा
4	अर्जुन लाल वुनकर पुत्र शोराम हि० 49/1070 जाति भांभी सा० देह खातेदार, किशना पुत्र शोराम हि० 49/1070, गीता पुत्री मदन हि० 55/856, घीपी देवी पुत्री शोराम हि० 49/1070, जोधा पुत्र शोराम हि० 49/1070, दीपक पुत्र गोपी हि० 55/1722, धर्मीचन्द पुत्र पोखर हि० 55/428 राहिन हि० (पूर्ण) वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैक शाखा कुचील, धारू पुत्र मदन हि० 55/856 राहिन हि० पूर्ण वडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैक शाखा कुचील, नेमीचन्द पुत्र गोपी हि० 55/1712, नाथी पत्नि पोखर हि० 55/428, नोरतमल वुनकर पुत्र शोराम हि० 49/1070, पूजा पुत्री गोपी हि० 55/1712, प्रहलाद पुत्र मदन हि० 55/856 राहिन हि० पूर्ण हि० पूर्ण वडौदा	358/22/4	0.0647	वा. 2 (रास्ता)	लाल



08.11.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील,
बाबुलाल पुत्र मदन हि0 55/856 राहिन हि0
(पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा कुचील, सीता पत्नि गोपी हि0
55/1712, सोहनी पत्नि मदन हि0 55/856,
हरदयाल पुत्र मदन हि0 55/856 राहिन हि0
(पूर्ण) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
शाखा कुचील सर्वजाति भांभी सा0 देह
खातेदार

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 08.11.2023 को जारी की गई।



08.11.23
सुखाराम पिण्डे
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)